Email

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/1352 भोपाल, दिनांक 21 .06.2021

प्रति,

01. संयुक्त संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,

02. सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.....................जिला..................

विषय:- **मंडियों में आने वाली कृषि उपजों की प्रमुख किस्मों को चिन्हांकित किए जाने के संबंध में।**

--00--

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में उत्पादन तथा विपणन होने वाली प्रमुख जिन्सों के उत्पादन में वृद्धि तथा सुदृढ़ विपणन के लिए ऐसी जिन्सों की प्रमुख किस्मों को चिन्हांकित कर किस्मों के अनुसार मेपिंग किए जाने का निर्णय लिया गया। मंडियों में आने वाली प्रमुख जिन्सों की प्रमुख किस्मों को चिन्हांकित करने हेतु यह आवश्यक है कि मण्डी में आने वाली प्रमुख जिन्सें किस्मवार अभिलेखित हों। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है :-

01. प्रत्येक मण्डी समितियों मे कृषि उपजों के वाहनों के प्रवेश के समय जारी किए जाने वाले प्रवेश पत्रों पर जिन्स के नाम के साथ उसकी किस्म लिखना अनिवार्य होगा।
02. नीलाम के दौरान् अनुबंध में जिन्स के नाम के साथ उसकी किस्म (वैरायटी) अनिवार्यत: लिखना सुनिश्चित करें।
03. इसी प्रकार प्रत्येक मण्डी समिति में क्रेता व्यापारियों द्वारा भुगतान पत्रक पर क्रय उपज के नाम के साथ किस्म (वैरायटी) का उल्लेख अनुबंध अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।
04. ई-अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रक की प्रविष्टी करते समय भी पोर्टल पर दिए गए कॉलम में उपज के नाम के साथ किस्म (वैरायटी) की प्रविष्टी करना भी अनिवार्य रहेगा।
05. उपरोक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप ई-अनुज्ञा पोर्टल पर प्रत्येक व्यापारी के खाते में कृषि उपजों का स्टॉक किस्म (वैरायटी) वार संधारित होगा एवं तदनुसार ही अनुज्ञा पत्र भी किस्मवार जारी हो सकेगा।

06. मण्डी प्रांगण में आनेवाली प्रीमियम वैरायटी की उपजों की नीलामी के लिए स्थान/शेड आरक्षित किए जाएं।

ई-अनुज्ञा पोर्टल पर सभी जिन्सों की प्रमुख किस्में दी गई है प्रयेक सचिव पोर्टल पर दी गई किस्मों से अनुबंध जारीकर्ता एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को अवगत करायें ताकि तद्नुसार किस्म का सही नाम अनुबंध एवं अन्य अभिलेखों में प्रविष्ट हो सके। सचिव यह भी परीक्षण करे कि उनकी मण्डी में आनेवाली प्रमुख किस्में पोर्टल पर उपलब्ध है यदि मण्डी में आने वाली कोई प्रमुख वैरायटी पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो तत्काल पोर्टल पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाहियां प्रत्येक मण्डी में सुनिश्चित किए जाने का दायित्व मण्डी सचिव का रहेगा। उपरोक्त कार्य की आंचलिक कार्यालय स्तर पर सतत् निगरानी रखते हुए समीक्षा की जाकर उपरोक्तानुसार कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएं। उपरोक्त कार्य दिनांक 23.06.2021 से प्रदेश की समस्त मंडियों में अनिवार्यतः प्रारम्भ किया जाएगा। आंचलिक अधिकारी एवं सचिव इस संबंध में आवश्यक तैयारियां निर्धारित तिथि के पूर्व पूर्ण कर लेवें।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

दिनांक 08.06.2021 को म.प्र. की मंडियों मे आने वाली कृषि उपजों की प्रमुख किस्मों को चिन्हांकित किए जाने के संबंध वर्चुअल बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 08.06.2021 को म.प्र. की मंडियों मे आने वाली कृषि उपजों की प्रमुख किस्मों को चिन्हांकित किए जाने के संबंध में प्रबंध संचालक महोदया द्वारा वर्चुअल बैठक ली गई। बैठक में श्री सुनील सक्सेना अपर संचालक, संयुक्त संचालक (नियमन), श्री संदीप चौबे, चीफ प्रोग्रामर तथा नियमन एवं एम.आई.एस. शाखा के सभी अधिकारी, ई. एण्ड वाई. के अधिकारी तथा श्री रामकिसुन असाटी, कंसल्टेंट उपस्थित रहे।

बैठक मे सर्वप्रथम वर्तमान स्थिति के संबंध मे जानकारी का प्रजेन्टेशन दिया गया। वर्तमान में मंडियों में आ रही प्रमुख कृषि उपजों गेहूं, धान, अरहर, सरसों, चना, मक्का की प्रदेश की मंडी समितियों में आने वाली किस्मों को चिन्हित किया गया है। इन चिन्हांकित किस्मों की प्रमुख आवक वाली मंडियों को सूचीबद्ध किया गया है। प्रस्तुत प्रजेन्टेशन के आधार पर निम्नानुसार किस्मों को आगामी कार्यवाही हेतु लिए जाने पर सहमति बनी :-

गेहूं:-

- लोकल
- शरबती
- लोक-वन
- सुजाता
- मालव शक्ति
- मोहन मंडल
- मिल क्वालिटी
- मिक्स

धान :-

- कॉमन
- क्रांति
- बासमती
- पूसा
- सुगंधा
- 1509
- 1121
- क्षत्रिय

- दूबराज
- जीराशंकर
- चिन्नौर
- काली मूछ

चना :-

- चना देशी
- देशी काला
- देशी कांटा
- डॉलर
- गुलाबी
- मौसमी
- काबुली

मक्का :-

- मक्का पीली
- मक्का रेड
- हाईब्रिड रेड
- हाईब्रिड यलो
- देशी सफेद
- स्वीट कॉर्न
- पॉपकॉर्न

सरसों :-

- काली
- पीली
- राई

मसूर :-

- काला
- गोला
- लोकल

तिल :-

- सफेद
- काली
- चिट्टी
- रेड

ज्वार :-

- सफेद
- पीली
- हाईब्रिड
- देशी

जौ :-

- देशी
- हाईब्रिड
- धारा

कपास :-

- H-4
- DCH-32 ओटी हुई
- DCH-32 बिना ओटी हुई
- मध्यम रेशा
- लम्बा रेशा

प्याज :-

- रेड
- मीडियम
- फर्स्ट सार्ट
- नासिक
- सफेद
- बिग
- स्माल
- हाईब्रिड
- पोले

- बिलॉरी
- ड्राई एफ ए क्यू
- पूना

टमाटरः-

- देशी
- हाईब्रिड

मिर्च :-

- सूखी
- गीली
- रेड
- पैरी
- बोल्ड
- देगी मिर्च

आलू :-

- देशी
- पहाड़ी
- चिप्स
- रेड
- ज्योति

लहसुन :-

- एवरेज
- देशी
- चाईना
- न्यू लड्डू
- न्यू मीडियम
- न्यू गोला
- यू.पी.

संतरा :-

- नागपुरी

- लोकल
- दार्जिलिंग

सेब :-

- एप्पल
- डेलीसन
- शिमला
- शिमला-2
- काश्मीर
- रेड गोल्ड
- कुल्लू रॉयल डेलीसन
- अमेरिका

आम :-

- देशी
- नीलम
- केशर
- बादाम
- दशहरी
- हापूस
- तोतापरी
- आम्रपाली
- लगड़ा
- चौसा
- सफेदा

अमरूद :-

- देशी
- इलाहाबादी
- बनारसी
- बी एन आर

चर्चा में अवगत कराया गया कि मंडी स्तर पर उपज के विक्रय के समय अभिलेखों में किस्म का नाम नहीं लिखा जाता है। इसी प्रकार व्यापारी द्वारा

भी भुगतान पत्रक में किस्मों का नाम नही लिखा जाता है। जिससे आगे की प्रक्रिया में भी उपज की किस्म प्रदर्शित नही होती है। अनुज्ञा जारी करने के दौरान् पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध रहने के बावजूद भी अधिकांश व्यापारियों द्वारा अनुज्ञा पत्र में किस्म का उल्लेख नही किया जाता है। चर्चा के उपरान्त प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कृषि उपजों की किस्मों को चिन्हांकित करत हुए उनको रिकार्ड पर लेने के कार्य को महत्वपूर्ण बताया। किस्मों के उल्लेख से प्रमुख किस्मों की आवक वाली मंडियों की मेपिंग की जा सकेगी। किस्मवार आवक के आंकड़े उपलब्ध रहने से उसके अनुसार नीति निर्धारण किए जाने में सुविधा होगी। किस्मों के अनुसार विपणन एवं प्रसंस्करण मे वृद्धि हेतु आवश्यक कार्यवाही में उचित निर्णय लिया जा सकेंगे। इससे नियमन की कार्यवाही में भी सुविधा हो सकेगी।

प्रबंध संचालक महोदया द्वारा मण्डी स्तर से ही किस्मों का अभिलेखीकरण प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अनुबंध पत्रों में किस्म का उल्लेख करना अनिवार्य करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। भुगतान पत्रक में किस्म का उल्लेख सुनिश्चित करने के लिए ई-अनुज्ञा पोर्टल पर भी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इस हेतु पोर्टल पर किए जाने वाले परिवर्तनों तथा इस संबंध में मंडियों को जारी किए जाने वाले निर्देशों तथा अन्य कार्यवाहियों की प्रारम्भिक रूप-रेखा बनाई जाकर आंचलिक अधिकारियों से चर्चा की जाकर अंतिम रूप दिया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई!

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक .06.2021

क्रमांक/बी-6/नियमन/

प्रतिलिपि :-

01. निज सचिव प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. निज सहायक अपर संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. संबंधित श्री...

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल